वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्या : 351 /XVII(1)-03/2006-581(स.क.)/2002

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-03, देहरादून, 27 मार्च 2006

विषय : हज हाउस (पीरान-ए-कलियर), रूड़की, जनपद-हरिद्वार, उत्तरांचल के निर्माण हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1502/XVII(1)-03/2005-581(स.क.)/2002, दिनांक 17 नवम्बर 2005 एवं शासनादेश संख्या-195/XVII(1)-03/2006-581(स.क.)/2002, दिनांक 17 फरवरी 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हज हाउस (पीरान-ए-कलियर), रूड़की, जनपद-हरिद्वार, उत्तरांचल के भवन निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में रूपये 80,68,000/- (रूपये अस्सी लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने से पूर्व अवमुक्त धनराशियों का उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितना कि स्वीकृति मानक है, स्वीकृति मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग और MORTH द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
7. कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।
8. आगणन में जिन मदों हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए। एक मद की राशि दूसरी मदों में कदापि व्यय न की जाए।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाए तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
10. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किए जाएंगे। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे।
11. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुवल व शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
12. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
13. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाएगा तथा कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।
14. यह धनराशि इस शर्त के साथ दी जा रही है कि धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाए।
15. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–15" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–00–800–अन्य व्यय–03–हज हाउस का निर्माण–00" की मानक मद "24–बृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।
16. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–1305/XXVII-3/2006, दिनांक 23 मार्च 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 351 (1)/XVII(1)-03/2006–581(स.क.)/2002, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।